भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 (Article 243)परिभाषाएं

243 (A) ग्राम सभा ।- एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और गाँव स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है, जैसे किसी राज्य का विधान, कानून द्वारा, प्रदान कर सकता है।

243 (B) पंचायतों का गठन ।- (1) इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य, गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।

(2) खण्ड में कुछ भी नहीं होने के बावजूद, एक राज्य में पंचायतें एक राज्य में गठित नहीं की जा सकती हैं, जिसकी आबादी बीस लाख से अधिक नहीं है

243 (C) पंचायतों की संरचना ।- (1) इस भाग के प्रावधानों के अधीन, राज्य के विधानमंडल कानून द्वारा, पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकते हैं

बशर्ते कि किसी भी स्तर पर पंचायत के क्षेत्रीय क्षेत्र की आबादी और चुनाव द्वारा भरी जाने वाली पंचायत में सीटों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक व्यावहारिक हो, पूरे राज्य में समान होगा। पंचायत की सभी सीटें पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और उसके लिए आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक व्यावहारिक हो, पूरे पंचायत क्षेत्र में समान हो।

243 (D) सीटों का आरक्षण। (1) सीटें आरक्षित होंगी

(1) अनुसूचित जाति

(2) अनुसूचित जनजाति

प्रत्येक पंचायत में और आरक्षित सीटों की संख्या जितनी होगी, उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या या उस पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के अनुपात के बराबर होगी। उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति उस क्षेत्र की कुल आबादी के पास है और ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा आवंटित की जा सकती हैं

alltipstricks.com

243 (E)पंचायतों की अवधि प्रत्येक पंचायत, जब तक कि किसी भी कानून के अमल में आने वाले समय में विघटित नहीं हो जाती, तब तक उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से पांच साल तक जारी रहेगी

243 (F)सदस्यता के लिए निरर्हताएं-

(1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,--

- (क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है :
- परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु फच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ;
- (ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में वार्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्यका विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

243 (G) पंचायतों के अधिकार, अधिकार और उत्तरदायित्व - इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, एक राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न कर सकता है, जो उन्हें स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और ऐसे कानून में विचलन के प्रावधान हो सकते हैं। उचित स्तर पर पंचायतों पर शक्तियां और जिम्मेदारियां, ऐसी शर्तों के अधीन हो सकती हैं, जिनके संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी के संबंध में ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध

allipstricks.com

मामलों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन उन्हें सौंपा जा सकता है।

243 (H) पंचायतों द्वारा, और निधि का, और राज्य के विधानमंडल द्वारा, कर लगाने के अधिकार एक पंचायत को इस तरह की प्रक्रिया और ऐसी सीमाओं के अधीन इस तरह के करों, कर्तव्यों, टोलों और शुल्क को वसूलने, एकत्र करने और उचित करने के लिए अधिकृत करता है

एक पंचायत को ऐसे करों, कर्तव्यों, टोलों और शुल्कों पर लगाया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों और सीमाओं के लिए लगाए जाते हैं।

243 (I) वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन-

(1) राज्य का राज्यपाल , संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, और जो—

- राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं , वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को ;
- ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी ;
- राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में ;
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में ;
- पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल को सिफारिश करेगा ।

राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी, और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा , उपबंध कर सकेगा ।

alltipstricks.com

आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे ।

राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टिकारक ज्ञाफन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

243 (j)पंचायतों के खातों का लेखा-परीक्षण।- राज्य का विधान, कानून द्वारा, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान और ऐसे खाते का लेखा-परीक्षण कर सकता है।

243(K) पंचायतों के चुनाव। - अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी, और आचरण, पंचायतों के सभी चुनाव एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होंगे, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल द्वारा।

243 (L) केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन।-इस भाग के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे और केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके आवेदन पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में नियुक्त किए गए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक अनुच्छेद 239 के तहत और राज्य के विधानमंडल या विधान सभा के संदर्भ एक विधान सभा के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र के संबंध में, उस विधानसभा के संदर्भ थे।

243 (M) कुछ क्षेत्रों को लागू न होना

-पंचायत को क्षेत्रों में लागू नहीं होती है।

इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी

- (क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य ;
- (ख) मणिफुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं

इस भाग की-

altipstricks.com

- (क) कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् विद्यमान है ;

- (ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है ।

अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243 C की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी ।]

243(N) मौजूदा कानूनों और पंचायतों की निरंतरता

- इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध , जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा

- परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी

243(O) चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक

- (क) अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ;

- (ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं

alltipstricks.com